रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 148] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 4, 1970/भाद्र 13, 1892

No. 148] NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 4, 1970/BHADRA 13, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 4th September 1970

SUBJECT.—*Deposit of rupee equivalents by imports under Direct payment procedure as applicable to foreign credits—Revision of composite rate between Canadian Dollar and the Indian Rupee.*

No. 133-ITC(PN)/70.—

1. *Change in Canadian Dollar par value (I.M.F. Parity rate).*—With effect from 1st June 1970, the I.M.F. parity rate (par value) for Canadian dollar ceased to operate, and floating rates were permitted by I.M.F. Since then the floating rates are continuing, and the new par value of the Canadian dollor has not yet been established with I.M.F.

2. *Change in composite rate.*—Consequent upon the fluctuations of the Canadian dollar with effect from 1st June 1970, the composite rate between the Canadian dollar and the Rupee, applicable for recovery of rupee equivalents from the importers under the Direct payment procedure under the credits from Canada and IBRD/IDA etc., needs suitable revision. Since the new parity rate of Can. $ is not yet fixed, and meanwhile the rates are fluctuating daily, the revised composite rate also cannot be fixed. The following arrangements are, therefore, notified for the

information and guidance of all concerned. These arrangements will be applicable with effect from 1st June 1970 *i.e.* for *disbursements made in Can. dollars from 1st June 1970 onwards, and until further orders.*

3. *Method of Calculation of new composite rate*—The rupee equivalents of disbursements in Canadian $ should be calculated with reference to the London Daily selling rates for Canadian $ ruling on the date of payment in Canada which are available with all the authorised dealers in foreign exchange. The exact amount payable should be worked out in the following manner.

Since the London rates are expressed in terms of £ sterling only (*i.e.*, Sterling £ 1=Canadian $.....) the same should first be converted in terms of rupees, by applying the rate of conversion of sterling into rupees, which is at a fixed rate of exchange @ £ 5.5180=Rs. 100, (B.C. Selling Rate for sterling in India). This conversion will give the rate of Canadian $ in terms of rupees 100 (*i.e.* Rs. 100= Canadian $.....). Thereafter, the rate should be worked out in terms of one Canadian $ (*i.e.* Canadian $ 1=Rs.....) and, to this should be added a margin of 0.70 % to arrive at the applicable rate of recovery of rupee equivalents in question.

4. *Responsibility of impoters.*—All importers holding import licences are advised to note the above changes in the composite rate carefully and also ensure that the necessary rupee deposits made by them, through their banks, are calculated with reference to the above rates In cases deposits have already been made at the old composite rates of Canadian $ 1=Rs. 7.01, the importers should take immediate steps to make good the short deposits through their banks, who have the information regarding the day-to-day London rates.

5. *Change in import licence values.*—Since the London rates, and consequently the above rates applicable for recovery of rupee equivalents are higher than the old I.M.F. parity and composite rates, some upward adjustments in the values of import licences would also be necessary to the extent of payments made in Canadian dollars with effect from 1st June 1970. However, since the new rates are not fixed, but would vary from day to day, it is not possible to allow any specific increase in the values of the licences and to amend the licences accordingly in advance. It has therefore, been decided, that. as a very special case, the authorised dealers in foreign exchange will allow deposits of such additional amounts, as may be necessary, in terms of the formula indicated in para 3 above, over and above the value of the relative import licence, without insisting upon any formal increase and amendment of the licence value.

6. *Change in Bank Guarantee amounts.*—The Bank Guarantees would also need to provide that the Banks undertake to make additional deposits @ the new rates. However, since the new rates are not fixed but vary from day to day, the Bank Guarantee values cannot be amended for definite amounts. The importers should, therefore, amend their existing Bank Guarantees, where necessary, so as to provide that "the Bank undertakes to make such additional deposits as may be necessary in terms of this Public Notice."

7. *Change in licensing conditions*—The licensing conditions, as announced in Public Notices issued from time to time/Bank Guarantees governing individual import licences may be deemed to have been amended in the light of this Public Notice.

8. *General.*—The various authorised dealers in foreign exchanges are being also advised separately about the above special arrangements for their informed and guidance.

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1970

विषय.—सीधे भुगतान प्रक्रिया के अन्तर्गत जैसाकि विदेशी साखों के लिए लागू होने योग्य है, आयातकों द्वारा समतुल्य रुपये जमा करना—कनाडा डालर और भारतीय रुपये के बीच की मिली-जुली दर का संशोधन ।

सं० 133-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—1. **कनाडा डालर सममूल्य में परिवर्तन (आई० एम० एफ० समता दर).**—1-6-70 से कनाडा डालर के लिए आई० एम० एफ० समानतादर (सममूल्य) दर ही जारी है, संचालन के लिए बन्द कर दिया गया था, (और आई० एम० एफ० द्वारा चालू दरें लागू की गई थीं । तब से चालू और आई० एम० एफ० के साथ कनाडा डालर का नया सममूल्य अभी तक स्थिर नहीं किया गया है ।

2. **मिली जुली दर में परिवर्तन.**—1-6-70 से कनाडा डालर में घटाव-बढ़ाव आने के परिणाम से, कनाडा और आई बी आर डी । आई डी ए आदि से साखों के अन्तर्गत सीधे भुगतान प्रक्रिया के अन्दर आयातकों से समतुल्य रुपये की वसूली करने के लिए लागू होने योग्य कनाडा डालर और भारतीय रुपये के बीच की मिली जुली दर के लिए उपयुक्त संशोधन की आवश्यकता है । तब से अभी तक कनाडा डालर की नई समानता दर निश्चित नहीं है और इस बीच दरों में रोज-रोज बढ़ाव-घटाव हो रहा है, संशोधित मिली-जुली दर भी निश्चित नहीं की जा सकती । इसलिए, सभी सम्बन्धों की सूचनार्थ और मार्ग दर्शन के लिए निम्नलिखित व्यवस्थाएं अधिसूचित की जाती हैं । ये व्यवस्थाएं **1-6-70 से जैसे से आगे कनाडा डालर में किए गए भुगतान के लिये और अगला आदेश जारी होने तक लागू होंगी ।**

3. **नई मिली जुली दर के परिकलन की विधि.**—कनाडा डालरमें भुगतान का समतुल्य रुपया, कनाडा में भुगतान की तिथि से प्रभावी कनाडा डालर के लिए लन्दन दैनिक बिक्री दरों के संदर्भ में परिकलित किया जाना चाहिए जो सभी विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारियों से प्राप्य हैं । भुगतान की जाने योग्य सही-सही धनराशि का परीक्षण निम्नलिखित विधियों से किया जाना चाहिए :-

लन्दन की दरें केवल पौंड स्टर्लिंग में व्यक्त की जाती हैं (जैसे: स्टर्लिंग पौंड 1=कनाडा डालर————————) रुपये में स्टर्लिंग के परिवर्तन की दर को लागू करते हुए उपर्युक्त, को पहले रुपये के रूप में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसे पौ० 5.5180=100 रुपये (भारत में स्टर्लिंग के लिए बी० सी० बिक्री दर) की दर से विनिमय की दर पर निश्चित किया जाता है । यह परिवर्तन 100 रुपये के रूप में कनाडा डालर की दर प्रदान करेगा (जैसे: 100 रुपये-कनाडा डालर————) इसलिए, दर को कनाडा डालर के रूप में परीक्षण किया जाना चाहिए (जैसे: कनाडा डालर 1=————रुपया) और इसके लिए विचाराधीन समतुल्य रुपये की वसूली की लागू दर पर पहुंचने के लिए 0.70 प्रतिशत की एक अतिरिक्त राशि जोड़ लेनी चाहिए ।

4. आयातकों के दायित्व.—उन सभी आयातकों को, जिनके पास आयात लाइसेंस हैं, यह सलाह दी जाती है कि मिली-जुली दर में जो उपर्युक्त परिवर्तन हुआ है, उसे अच्छी तरह नोट करलें और इसका भी सुनिश्चय कर लें कि उनके बैंक के माध्यम से जमा किए गए आवश्यक रुपये उपर्युक्त दर के संदर्भ में परिकलित कर लिए गए हैं। कनाडा डालर 1—7.01 की पुरानी मिली-जुली दर पर पहले जमा किए जाने के मामले में, वे आयातक जिनके पास लन्दन के दिन प्रति-दिन की दर के सम्बन्ध में सूचना है, उन्हें चाहिए कि अपने बैंकों के माध्यम से अल्प जमा को पूरा करने के लिए शीघ्र कार्रवाई करें।

5. **आयात लाइसेंस मूल्यों में परिवर्तन.**— लंदन की दरें और समतुल्य रुपये की वसूली के लिए लागू होने वाली उपर्युक्त दरें पुराने आई० एम० एफ० समानता तथा मिली-जुली दरों के अधिक होने के परिणाम स्वरूप 1-6-70 से आयात लाइसेंस के मूल्य में कनाडा डालर में किए गए भुगतान की सीमा तक कुछ उर्ध्व समायोजन आवश्यक होगा। लेकिन, नई दरें नियत नहीं हैं, बल्कि दिन प्रतिदिन बदलेंगी। अतः लाइसेंस के मूल्य में किसी विशिष्ट वृद्धि की तथा तद्नुसार उस में अग्रिम संशोधन करने की स्वीकृति देना संभव नहीं है। इसलिए, यह निश्चिय किया गया है कि बहुत अधिक विशेष जैसे मामलों में, विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत व्यापारी उपर्युक्त पैरा 3 में निर्दिष्ट सूत्र के अनुसार जब जैसी आवश्यकता हो लाइसेंस मूल्य में किसी औपचारिक वृद्धि तथा संशोधन के लिए आग्रह किए बिना सम्बन्धित आयात लाइसेंस के मूल्य के अतिरिक्त इस प्रकार की अतिरिक्त धन-राशियों को जमा करने की स्वीकृति देंगे।

6. **बैंक गारन्टी की धन-राशि में परिवर्तन.**—बैंक गारन्टी देने वालों को यह भी प्रबन्ध करने की आवश्यकता होगी कि बैंक नई दरों के हिसाब से अतिरिक्त निक्षेप करने का वचन लेंगे। लेकिन जब कि नई दरें नियत नहीं हैं और दिन प्रतिदिन बदलती हैं, निश्चित राशियों के लिए बैंक गारन्टी मूल्यों में संशोधन नहीं किये जा सकते। अतः आयातकों को अपनी वर्तमान बैंक गारन्टियों में, जहां आवश्यक हो, इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए कि "इस सार्वजनिक सूचना के अनुसार बैंक ऐसे अतिरिक्त निक्षेप जो आवश्यक हों, करने का वचन देता है।"

7. **लाइसेंस शर्तों में परिवर्तन.**—समय समय पर जारी की गई सार्वजनिक सूचनाओं में प्रख्यापित लाइसेंस शर्तें, वैयक्तिक आयात लाइसेंसों की शासी बैंक गारन्टियों को इस सार्वजनिक सूचना को मद्दे नजर रखते हुए संशोधित किया गया है, समझा जाए।

8. **सामान्य**—विदेशी मुद्रा देने वाले प्राधिकृत विभिन्न व्यापारियों को भी उनकी सूचना और मार्ग दर्शन के लिए उपर्युक्त विशिष्ट व्यवस्था के विषय में अलग से परामर्श दिए जा रहे हैं।

आर० जे० रबैलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD. NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970